रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA NOV 1970

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 14, 1970 (कार्तिक 23, 1892)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 14, 1970 (KARTIKA 23, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 जुलाई 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 22nd July 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	921
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1411
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	115
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1369
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3607
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	4461
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	599
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1293
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	437
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	165
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1859
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	199
पूरक संख्या 46—	
7 नवम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1907
17 अक्तूबर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1917

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	921
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1411
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	115
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1369
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3607
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	4461
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	599
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1293
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	437
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	165
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1859
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	199
SUPPLEMENT No. 46	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 7th November 1970	1907
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 17th October, 1970	1917

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पोतपरिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय

सीमा सड़क विकास बोर्ड

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1970

सं० एफ० 4(19)/बी० आर० डी० बी०/प्रोजे०/64—जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स को सौंपे गए सड़कों के विभागीय निर्माण में होने वाले खर्च को कम करने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी । मजदूरी और सामग्री पर आने वाली लागत में सामान्य रूप से वृद्धि हो जाने के कारण इस प्रश्न पर विचार करना और भी महत्वपूर्ण हो गया था । इसलिए यह निर्णय किया गया कि निम्नलिखित रूप से बनाई गई एक समिति उन सब पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार करेगी जिनके कारण जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा सीमा सड़कों के निर्माण और उनके रख-रखाव पर इतना खर्च आ रहा है और साथ ही निर्माण कार्यक्रम की गति और कार्यदक्षता में किसी प्रकार की अवरुद्धता आए बिना सड़क निर्माण पर होने वाली लागत को यथा सम्भव कम करने के लिए सुझाव देगी ।

गठन

1. श्री एस० एन० सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव, परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय — अध्यक्ष
2. श्री एस० के० छिब्बर, सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड — सदस्य
3. श्री ए० पी० वी० कृष्णन, संयुक्त सचिव, (वेतन आयोग तथा श्रम), वित्त मंत्रालय — सदस्य
4. मेजर-जनरल जे० एस० बावा, ए० वी० एस० एम०, डाइरेक्टर जनरल सीमा सड़क — सदस्य
5. श्री एच० सी० मल्होत्रा, चीफ़ इंजीनियर-1, मार्वजनिक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला — सदस्य

सीमा सड़क विकास बोर्ड के उप-सचिव श्री वी० पी० डंग समिति के पूर्णकालिक सचिव रहेंगे ।

विचारार्थ विषय

समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :—

(क) सीमा क्षेत्रों की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्या सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण और रख-रखाव पर किया जाने वाला खर्च उपयुक्त है; यदि नहीं तो किन पहलुओं के कारण इतना अधिक खर्च हो रहा है ? क्या इस खर्च की तुलना मार्वजनिक निर्माण विभाग जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा इसी प्रकार की सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव पर किये जाने वाले खर्च से भी की जा सकती है ।

(ख) कौन से ऐसे अस्थायी और दूरगामी उपाय हो सकते हैं जिनसे निर्माण तथा रख-रखाव पर होने वाला खर्च घट सकता है । इस संबंध में विशेष रूप से यह विचार किया जाय कि अपेक्षाकृत अधिक अच्छी और सुनिश्चित योजनाएं तैयार करके सामग्री की अधिक-सुव्यवस्था करके जिन मामलों में उपस्करों की परिचालन लागत अधिक हो वहां यांत्रिक उपस्करों पर निर्भरता को कम करके और ऊपरी तथा प्रशासनिक खर्चों में कमी करके, कहां तक खर्च कम किया जा सकता है ।

(ग) डी० जी० बी० आर० की नयी दर-सूची जिन पूर्वानुमानों और आधारों पर बनाई गई है, तथा उसमें प्रतिशत जोड़ने की जो प्रणाली है, क्या वे सब उपयुक्त हैं ? प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक पूर्वानुमान एवं आधार की विशुद्धता की जांच की जाय । क्या वे दरें अखिल भारतीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और कितने समय बाद इन्हें परिशोधित किया जाना चाहिए ?

(घ) क्या जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स के साधनों—जनशक्ति और उपकरणों का वर्ष के दौरान किसी भी समय पूरा उपयोग नहीं किया गया है और यदि ऐसा है तो उनका पूरा या अधिकाधिक उपयोग करने के लिए समिति क्या सुझाव देगी ?

(ङ) क्या कृतिक बल (टास्क फोर्स) (सड़कों के कटाव और रख-रखाव दोनों के लिए) का वर्तमान गठन उपयुक्त है, अथवा कार्य निष्पादन के स्वरूप पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना खर्च में किफायत किये जाने के विचार से उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है ?

(ख) अत्यधिक किफायती तरीकों का उपयोग किए जाने और उपलब्ध साधनों का यथा सम्भव पूर्ण उपयोग किए जाने की व्यवस्था की सुनिश्चितता के लिए यह समिति वास्तविक निर्माण के दौरान होने वाले व्यय और कार्य निष्पादन की लगातार पुनरीक्षा के बारे में किए जाने वाल उपायों पर विचार करेगी और इस हेतु अपनी सिफारिशें देगी ।

समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा लेकिन अपने इस काम के सम्बन्ध में वह जहाँ आवश्यक हो, जाकर निरीक्षण कर सकती है ।

समिति अपना कार्य तत्काल शुरू कर देगी और छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए ।

एस० के० छिब्बर, सचिव
सीमा सड़क विकास बोर्ड

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1970

सं० 2/11/70-फै० क०—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के नियमों एवं विनियमों के नियम 7 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, भारत सरकार ने श्री बागाराम तुलपुले, मिल मजदूर सभा, बम्बई को 5 अक्तूबर, 1970 से अगला आदेश जारी होने तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है ।

जे० डी० तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

Border Roads Development Board

RESOLUTION

New Delhi, the 14th October 1970

No. F.4(19)/BRDB/Proj./64.—The question of bringing down the cost of departmental construction of roads entrusted to the General Reserve Engineer Force has been under consideration of the Government for some time. This has assumed added importance on account of general increase in cost both of labour and material. It has, therefore, been decided that a thorough examination should be undertaken by a Committee constituted as indicated below, of the various factors which are responsible for the present cost of construction and maintenance of border roads by the GREF and to suggest measures to bring it down, as far as possible, without sacrificing speedy execution or the efficiency of work.

COMPOSITION

Chairman

1. Shri S. N. Sinha, Director-General (Roads Development) & Additional Secretary, Ministry of Shipping & Transport.

Members

2. Shri S. K. Chhibber, Secretary, Border Roads Development Board.
3. Shri A. P. V. Krishnan, Joint Secretary, (Pay Commision & Labour), Ministry of Finance.
4. Major General J. S. Bawa, AVSM Director General Border Roads.
5. Shri H. C. Malhotra, Chief Engineer I, P.W.D., Himachal Pradesh Government, Simla.

Shri V. P. Dang, Deputy Secretary, Border Roads Development Board, will be the full-time Secretary of the Committee.

TERMS OF REFERENCE

The Committee will examine and report on :—

(a) whether having due regard to the conditions prevailing in the border areas, the cost of construction and maintenance of roads by Border Roads Organisation are reasonable. If not, what are the factors contributing to the high cost ? Are they comparable to the cost of construction and maintenance of comparable roads by other agencies like P.W.D. ?

(b) What are the measures—temporary and long-term—which can be taken to reduce the cost of construction and maintenance of roads. In this connection, it may be specifically examined how far the cost can be reduced by better and firm forward programming, improved material management, decreased dependence on mechanical equipment where the operational cost of the equipment is heavy and by reduction in overheads and administrative expenditure.

(c) Whether the assumptions/bases on which the latest DGBR Schedule of Rates have been framed and the practice of adding percentages thereto are reasonable ? The correctness of each of these assumptions/bases may be examined with reference to variable data. Should these rates be prescribed on all-India basis or regionally ? At what intervals should they be revised ?

(d) Whether there is under-employment of GREF resources—manpower as well as equipment—at any time of the year and if so, what measures would the Committee suggest to eliminate/reduce it ?

(e) Whether the existing set up of Task Forces (both for formation cutting and maintenance) is suitable or any changes can be made to achieve economies without any adverse effect on the quality of output.

(f) The Committee may consider measures and make recommendations for continuous review of expenditure and performance during the course of actual construction for ensuring that most economical methods are used and fullest possible utilisation of available resources is made.

The Headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may visit such places as may be necessary in connection with its work.

The Committee will commence work immediately and submit its report within six months.

ORDER

ORDERED that resolution be published in the Gazette of India, Part I Section 1.

S. K. CHHIBBER, Secy.,
Border Roads Development Board

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 31st October 1970

No. 2/11/70-FAC.—In pursuance of clause (b) of Rule 7 of the Rules and Regulations of the National Safety Council, the Government of India have nominated Shri Bagaram Tulpule, Mill Mazdoor Sabha, Bombay, as the Chairman of the Board of Governors of the National Safety Council with effect from the 5th October 1970 until further orders.

J. D. TEWARI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970